



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फ़ोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB/संस्था/सला./2024/ 346

दिनांक 30.04.2024

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त लेखाधिकारी)
17, सत्य मार्ग, नन्दपुरी विस्तार,
हवासडक, जयपुर 302019 (राजस्थान)

विषय : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1)(ए) के अन्तर्गत बोर्ड में सलाहकार (अर्थना) के पद पर प्रस्ताव आमंत्रित करने बावत।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन ग्रेड-पे रूपये 3600/- (पे मेट्रिक्स लेवल L-10) तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए कार्मिकों का चयन करने हेतु किया गया है। आप लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बोर्ड में स्वीकृत सलाहकार के पद पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता है। बोर्ड में आपका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। सलाहकार (अर्थना) के पद के लिए जॉब चार्ट संलग्न है।

आप कृपया अपने अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जी एंड टी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.08.2023 के अनुसार पे माईनस पेंशन" (राशि रू. 65800/-) पर बोर्ड में सलाहकार अर्थना के पद पर सेवाएँ देने हेतु अपनी सहमति तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

संलग्न : सलाहकार (अर्थना) पद हेतु जॉब चार्ट

(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष

प.1(6)(17)RSSB/संस्था/सला./2024/

दिनांक

- नोडल अधिकारी, प्रोक्चरमेंट एन्टीटी, बोर्ड को भेजकर लेख है कि राज्यलोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर निविदा आमंत्रित करने वाली उपर्युक्त सूचना को अपलोड करावें।
- उपनिदेशक IT CELL, RSSB को भेजकर लेख है कि बोर्ड की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
- कैशियर/नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6731935



Signature valid

Digitally signed by Ajay Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.30 10:07:43 IST
Reason: Approval



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

प. 1(6)(17)RSSB/संस्था/सला./2024/ 346

दिनांक 30.04.2024

सलाहकार (अर्थना) पद हेतु संविदा सेवाओं के लिए जॉब चार्ट

1. विभिन्न विभागों/बोर्ड/निकायों से अर्थना प्राप्त करने में सलाह/सहयोग प्रदान करना।
2. विभागों/बोर्ड/निकायों से प्राप्त अर्थनाओं का परीक्षण करना/सुझाव प्रदान करना।
3. बोर्ड में प्राप्त अर्थना से संबंधित विभाग के नियमों/उपनियमों व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों, आदेशों व अधिसूचनाओं आदि से बोर्ड को अवगत करवाना।
4. बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली अर्थना संबंधी विज्ञप्तियों का जारी होने से पूर्व व बाद में परीक्षण कर बोर्ड को अवगत कराना।
5. विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त अर्थना के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदनाओं का नियमों के अनुसार निस्तारण करना।
6. अर्थना संबंधी न्यायालयों के निर्णयों व कार्मिक विभाग के आदेशों, नियमों की पालना कराना।
7. बोर्ड मीटिंग में दिये गये निर्देशों/आदेशों की पालना कराना।
8. अन्य तत्कालिक कार्य जो अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर बताये जावें।

अध्यक्ष

RajKaj Ref
6731935

Signature valid

Digitally signed by Anil Raj
Designation: Chairman
Date: 2024.04.29 10:07:43 IST
Reason: Approved